



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 17298 / 2026

मुकेश उर्फ़ खुदबुद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

मोहम्मद शोएब खान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मो. शोएब खान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार और राज्य की ओर से पेश हुए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह की दलीलें सुनीं गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 417/2025 (भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 331(4), 111(4), 111(6); थाना गोला, ज़िला गोरखपुर) में ट्रायल चलने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक को, मुकदमा अपराध संख्या 272/2025 (धारा 305, 331(4), 317(2), 111(4), 111(6), 111(7), 62(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता) और, मुकदमा अपराध संख्या 325/2025 (धारा 303(2), 331(4), 317(2), 111(4), 111(6), 111(7), 62(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता) के तहत गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। पुलिस की हिरासत में आवेदक के कबूलनामे के अलावा, अपराध से आवेदक को जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है।

4. आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी इरफान और तौफीक उर्फ़ चांद अली को इस न्यायालय की एक बेंच ने आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 9909/2026 में 24.03.2026 के आदेश से पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, समान भूमिका होने के कारण, आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। पूरक हलफनामे के पैरा 4 में आवेदक का आपराधिक इतिहास बताया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास दिखाता है कि उसे अज्ञात लोगों द्वारा दर्ज चोरी और डकैती के 19 मामलों में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 19.11.2025 से जेल में है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है; साथ ही अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को देखते हुए; और कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एस सी 3038) मामले में सुप्रीम न्यायालय के फैसले और जमानत देने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी Online All 6765) मामले में इस न्यायालय की दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है। इसलिए, यह आवेदन मंज़ूर की जाती है।

7. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - मुकेश उर्फ़ खुदबुद - को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित अदालत आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण को पुष्टि करेगी।

10. संबंधित अदालत आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की पुष्टि करेगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल मामले (इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, रिपोर्टेड (2024) 10 एससीसी 685) और पीला पहन उर्फ़ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य' मामले (रिट याचिका (अपराध) संख्या 169/2025, फैसला 29.05.2026) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि 24 घंटे के अंदर गोरखपुर जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल पर आवेदक को और ई-मोड से विचारण न्यायालय को भेजे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

4 जून 2026

एसए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"